प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा छापड़ा के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नंबर 513/2 सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी वादी खेताराम तथा खसरा नंबर 506, 499 की सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के रामनारायण के हक बंट में तथा मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नंबर 1197/449 की भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 2 गणपतराम के यथावत् राजीनामा अनुसार चाही गई है। अतः मौजा छापड़ा के खेत खसरा नंबर 513/2 की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 को प्रतिवादी संख्या 2 गणपतराम के साथ सहखातेदार, खसरा नंबर 499 की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 3 के साथ सहखातेदार, खसरा नंबर 506 की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 को वादी खेताराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर तथा मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नंबर 1197/449 को यथावत प्रतिवादी संख्या 2 के रखा जाकर हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

— : : आदेश : : —

यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा छापड़ा के खेत खसरा नंबर 513/2 की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 को प्रतिवादी संख्या 2 गणपतराम के साथ सहखातेदार, खसरा नंबर 499 की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 3 के साथ सहखातेदार, खसरा नंबर 506 की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 को वादी खेताराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर तथा मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नंबर 1197/449 को यथावत प्रतिवादी संख्या 2 के हक बंट कब्जा काश्त में रखा जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी खेताराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा का खेत खसरा नंबर 513/2 रकबा 7.6566 हैक्टेयर पूरा खेत रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 रामनारायण के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा छापड़ा का खेत खसरा नंबर 506 रकबा 3.8283 हैक्टेयर पूरा, व खेत खसरा नंबर 499 रकबा 1.4569 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा झाड़ेली का खेत खसरा नंबर 1197/449 रकबा 1.0198 हैक्टेयर रखी गई है।
4. बैंक.................................के रहन खसरान् के संबंध में बैंक को सूचित हो तथा बैंक के रहन खसरान् यथावत बैंक के रहन रहेंगें।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, जायल

Scanned with CamScanner